माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी और अशोक भान के समक्ष

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और

एक अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

मिस शबनम कुमारी और अन्य, -प्रतिवादी।

एल.पी.ए. *1991* की संख्या *726.*

9 सितम्बर *1991.*

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226/227—*पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर *1988,* अध्याय *3,* माननीय। *II*-विनियमन *14.3* एवं *14.4*-प्रवेश-याचिकाकर्ता विदेश में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण-

जब उम्मीदवार विदेशी योग्यता/डिग्री के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहता है, तो पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भीडिग्री या परीक्षा की तुलना में ऐसी डिग्री की समकक्षता है

पंजाब विश्वविद्यालय के लिए यह निर्धारित करना - जब तक ऐसी समकक्षता निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए मानदंडउचित हैं, तब तक अदालतें हस्तक्षेप करने से कतराती हैं।.

न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी

ये निर्धारित किया गया कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि जब कोई उम्मीदवार किसी विदेशी योग्यता या डिग्री के आधार परपंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर द्वारा शासित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है, तो ऐसी डिग्री या परीक्षा की समकक्षता किसी भी डिग्री केबराबर होती है। या पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित करने का मामला है। जब तक ऐसीसमकक्षता निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए मानदंड निष्पक्ष और उचित हैं, तब तक अदालतें हस्तक्षेप करने के लिए तैयारनहीं होंगी।

*(*पैरा *13)*

अपीलकर्ता की ओर से अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से सरवन सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. एस. एसओडीएम

1. यहां मामला याचिकाकर्ता शबनम कुमारी वादेहरा द्वारा एमबीबीएस में मांगे गए प्रवेश से संबंधित है। सर चार्ल्स टुपर सेकेंडरी स्कूल,वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा से *1987* में ग्रेड *12 (*सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा*)* उत्तीर्ण करने के आधार पर दयानंद मेडिकलकॉलेज, लुधियाना का कोर्स। इस परीक्षा में उनके द्वारा उत्तीर्ण किये गये पेपरों में जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी शामिल हैं। इसग्रेड *12* परीक्षा को पंजाब विश्वविद्यालय की *10 + 2* परीक्षा के बराबर माना गया था।
2. *1989* में याचिकाकर्ता ने कम्युनिटी कॉलेज से फिजिक्स का पेपर भी पास किया। वैंकूवर. कनाडा, और वहां उसे ग्रेड *'*सी*'* से सम्मानितकिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह भी पंजाब यूनिवर्सिटी की *10+2* परीक्षा के फिजिक्स पेपर के बराबर है।

*(3)*दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियाना में *13* सीटें *"*पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विदेशीविश्वविद्यालय*+*वाई*/*बोर्ड से समकक्ष *10+2 + 3* प्रणाली परीक्षा में प्री मेडिकल *+2* उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों*"* के लिए आरक्षित हैं। इन *13*सीटों में से एक पर याचिकाकर्ता ने प्रवेश मांगा था।

*(4)*प्रवेश के लिए शर्तों के अनुसार, जैसा कि प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित किया गया था, याचिकाकर्ता को भी पात्रता प्राप्त करने कीआवश्यकता थी, पंजाब विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र. इस संबंध में प्रॉस्पेक्टस में प्रासंगिक शर्त इस प्रकार है *: —*

> *"*किसी विदेशी विश्वविद्यालय*/*बोर्ड से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिएरजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से पात्रता प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से एक मंजूरीप्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। , निर्माण भवन, नई दिल्ली जब भी मांग की गई।*"*

*(5)*पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को भौतिक विज्ञान में एक विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर ऐसा पात्रता प्रमाण पत्रजारी करना, जिसने उसे रिट कार्यवाही में इस न्यायालय में जाने का अवसर प्रदान किया। इस विशेष परीक्षण के विरुद्ध ही यह याचिका दायरकी गई है।

*(6)*जैसा कि पहले बताया गया है, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने फिजिक्स का पेपर कम्युनिटी कॉलेज से पास किया था। वैंकूवर भीपंजाब विश्वविद्यालय की *+2* परीक्षा के समकक्ष था। उनके मामले का समर्थन करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, ब्रिटिश कोलम्बिया से उनकेद्वारा *21* अगस्त, *1990* को प्राप्त पत्र *(*अनुलग्नक पी*-3)* पर भरोसा करने की मांग की गई थी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि मंत्रालयके विचार में, भौतिकी *115* का पेपर सामुदायिक कॉलेज, वैंकूवर से उनके द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया, *"*फिजिक्स *12* के ब्रिटिशकोलंबिया सेकेंडरी स्कूल पाठ्यक्रम के स्वीकार्य समकक्ष*"* था। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि इस पत्र को पंजाब विश्वविद्यालय केसमक्ष प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, भौतिकी में एक विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करना अभी भी सशर्त बना दियागया था।

*(7)*एक अन्य उम्मीदवार अवतार सिंह सेखों के आधार पर भी भेदभाव की दलील दी गई थी। जिन्होंने याचिकाकर्ता की तुलना में कम अंकप्राप्त किए थे, उन्हें पहले भी पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परीक्षा की ऐसी कोई शर्त लगाए बिना पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया था।

*(8)*रिकॉर्ड के संदर्भ से पता चलता है कि अवतार स्मघ सेखों को दिए गए पात्रता प्रमाण पत्र के संदर्भ में पनियाब विश्वविद्यालय पर किसीभी तरह का भेदभाव करने का कोई वारंट नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रेड *12* की परीक्षा में उनका प्रदर्शन था। याचिकाकर्ता कीतुलना में निश्चित रूप से उच्च स्तर का था।

(9)इस मामले से निपटने में, इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि याचिकाकर्ता ने एक विदेशी देश में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णकिया है। माना जाता है कि, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा जारी विनियमन या सामान्य आदेशों के तहत, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तीर्ण की गईपरीक्षा को पंजाब विश्वविद्यालय की *10 + 2* परीक्षा के बराबर माना गया है। विदेशी डिग्री या योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश सेसंबंधित पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर में प्रासंगिक प्रावधान पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, *1988* के माननीय *II* के अध्याय *III* के *14.3* और*14.4* हैं। इन्हें यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:—

"14.3. किसी भी अन्य विनियम के बावजूद, सिंडिकेट निम्नलिखित के मामले में-

1. एक विदेशी विद्वान, जो भारतीय अधिवास का नहीं है; या

*(b)*एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है; या

*(c)*किसी विदेशी देश में अध्ययन करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के पास यह शक्ति होगी-

1. उसे इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज की किसी भी कक्षा में प्रवेश दें जिसके लिए उसे सिंडिकेट द्वारा उपयुक्त माना जाता है;

*(ii)*संबंधित परीक्षा-राष्ट्र के लिए विनियमों द्वारा निर्धारित अवधि से कम अवधि के लिए किसी संबद्धकॉलेज में अध्ययन करने के बाद उसे विश्वविद्यालय परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी;

*(iii)*प्री-मेडिकल, प्री-इंजीनियरिंग और बी.ए./बी.एससी परीक्षाओं में अतिरिक्त वैकल्पिक पेपर के बदले इफिग्लिश मेंएक विशेष पेपर पेश करने की अनुमति देना।

(d)4. सिंडिकेट उन देशों से आने वाले विदेशी छात्रों के लिए अंग्रेजी में एक विशेष पाठ्यक्रम और/या परीक्षा निर्धारितकर सकता है जहां अंग्रेजी का मानक उन्हें अपनी पढ़ाई ठीक से करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बनाता है। उन छात्रों को छूटदी जा सकती है जो पहले ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा और जेनरेशन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन परीक्षा यासमकक्ष मानक की किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं।

*(10)*यह देखा जाएगा कि सिंडिकेट को विदेशी योग्यता रखने वाले छात्रों को प्रवेश देने के मामले से निपटने के लिए अपेक्षित शक्ति दीगई है। सिंडीकेट की यह शक्ति, विनियमों के अनुसार है

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, *1990* का माननीय *III,* कुलपति को सौंपा गया। इसलिए, इसका तात्पर्य यह है कि यह निर्धारित करनाकुलपति का काम है कि किसी विदेशी देश में उत्तीर्ण परीक्षा के आधार पर प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को पात्रता प्रमाणपत्र दिया जानाचाहिए या नहीं।

*(11)*अब देखने वाली बात यह है कि क्या याचिकाकर्ता को अनुदान की पूर्व शर्त के रूप में भौतिकी में एक विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने कीशर्त निर्धारित करने में कुलपति को कोई दोष या त्रुटि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है*?* पात्रता प्रमाण पत्र का. याचिकाकर्ता केवकील का मुख्य आधार पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से दायर रिटर्न के पैराग्राफ *11* और *12* की सामग्री थी, जिसका अर्थ यह था कियाचिकाकर्ता द्वारा उत्तीर्ण किया गया भौतिकी का पेपर *12*वीं कक्षा के बराबर था। ब्रिटिश कोलंबिया शिक्षा विभाग के दृष्टिकोण के अनुसार।पंजाब विश्वविद्यालय के वकील के अनुसार, हालांकि, ऐसा कोई प्रवेश नहीं किया गया था या इरादा नहीं था और रिटर्न में जो उल्लेख कियागया था वह केवल शिक्षा मंत्रालय के पत्र, अनुबंध पी *-3* की सामग्री थी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे से इसेऔर स्पष्ट किया गया। इसलिए, ऐसे किसी भी प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

*(12)*विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, विश्वविद्यालय का रुख यह था कि याचिकाकर्ता का न्यूनतम ग्रेड प्वाइंट औसत *2.5* होना चाहिएथा और इसे तैयार करने के लिए उसने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा था कि उसने जो परीक्षा दी है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण अंक *50'* प्रतिशत थे। पंजाबविश्वविद्यालय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अशोक अग्रवाल ने रिकॉर्ड की जांच के बाद बताया कि कुलपति द्वारा कोई सामान्य नियमनहीं बनाया गया है कि विदेशी योग्यता वाले छात्रों का प्रवेश उनके ग्रेड प्वाइंट हासिल करने पर निर्भर होगा। *2.5* या उससे बेहतर का औसत,न ही वास्तव में ऐसे ग्रेड प्वाइंट औसत निकालने के लिए कोई सामान्य नियम था। दूसरी ओर, उन्होंने यहां जो रुख अपनाया, वह यह था कियह पंजाब विश्वविद्यालय का काम है कि वह अपने विशेषज्ञों से विदेशी परीक्षा के मानक की जांच कराए और फिर उसकी समकक्षतानिर्धारित करे। इसके अलावा, अवतार सिंह सेखों के मामले के विपरीत, याचिकाकर्ता ने *12*वीं कक्षा में केवल तीन पेपर, अर्थात् जीव विज्ञान,रसायन विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण किया था। हालाँकि, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उत्तीर्ण भौतिकी के पेपर को समान मानक कानहीं माना और यही कारण है कि, उसे एक विशेष परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। जहां तक शिक्षा मंत्रालय, ब्रिटिश कोलंबिया के पत्र,अनुलग्नक पी*-3* का संबंध है, उनके द्वारा यह सही तर्क दिया गया कि यह केवल एक विदेशी सरकार का एक संदेश था जो स्पष्ट रूप सेपंजाब विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी नहीं।

(13)इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि कब . एक उम्मीदवार, कुछ विदेशी योग्यता या डिग्री के आधार पर, पंजाबविश्वविद्यालय कैलेंडर द्वारा शासित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है, ऐसी डिग्री या परीक्षा की समकक्षता पंजाब विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित किसी भी डिग्री या परीक्षा के लिए एक मामला है। पंजाब यूनिवर्सिटी को तय करना है। जब तक ऐसी समकक्षतानिर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए मानदंड निष्पक्ष और उचित हैं, तब तक अदालतें हस्तक्षेप करने के लिए तैयारनहीं होंगी।

(14)मामले पर सबसे अधिक ध्यान से विचार करने के बाद, हमें याचिकाकर्ता को अनुदान की पूर्व शर्त के रूप में भौतिकी में एकविशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्देश देने के पंजाब विश्वविद्यालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। पात्रताप्रमाणपत्र, 'उसे एमजे*3*.बी.एस. में नियमित प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए। .पाठ्यक्रम दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियानामें। परिणामस्वरूप, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर देते हैं, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान मेंविशेष परीक्षा *(*याचिकाकर्ता द्वारा ली जाने वाली*)* के लिए एक तारीख तय करने का निर्देश दिया गया था, जो एक महीने से पहले नहींहोनी चाहिए। आज। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि यह विशेष परीक्षा *"*पंजाब राज्य शिक्षा बोर्ड के भौतिकी में *+2*

परीक्षाके पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इस बीच, याचिकाकर्ता को घोषणा होने तक अनंतिम प्रवेश देने का निर्देश दिया जाताहै।" भौतिकी में विशेष परीक्षा का परिणाम।

*(15)*इस पत्र पेटेंट अपील का निपटारा इन शर्तों में किया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा